[2021] 8 एस. सी. आर. 571

रहमत खान @राममू बिसमिल्लाह

वी.

पुलिस उपायुक्त

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 912)

25 अगस्त, 2021

[इंदिरा बनर्जी और वी. रामसुब्रमणियन, जे. जे.]

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 - धारा 56 (1) (ए) (बी)-बाह्य आदेश-राज्य सरकार ने उत्थान के लिए एक योजना शुरू की। मुस्लिम समुदाय द्वारा मुस्लिम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना-राज्य सरकार ने 33 बच्चों को अनुदान देने की घोषणा की

वित्तीय वर्ष के लिए अमरावती जिले के मदरसे 2014-2015-अपीलार्थी को मदरसों के संचालन में अनियमितताओं के बारे में पता चला, जिसमें उक्त जिले में मदरसों को वितरित सार्वजनिक धन का दुरुपयोग भी शामिल था-इसके अनुसार, विभिन्न शिकायतें की गईं

अपीलार्थी ने कलेक्टर और पुलिस से भी अनुरोध किया कि

सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से मदरसों द्वारा सरकारी अनुदानों के दुरुपयोग की जांच-प्रतिशोध में, प्रभावित व्यक्तियों ने अपीलार्थी के खिलाफ यू/एस. एस. के तहत शिकायतें दर्ज कीं। 384 , 452 , 294 ,

506 (बी), 34 आई. पी. सी.-अपीलार्थी ने एक जनहित याचिका भी दायर की जिसके बाद, अपीलार्थी को यू/एस नोटिस प्राप्त हुआ। 56 (1) (क) 1951 के अधिनियम के (ख) और अपीलार्थी के खिलाफ बाह्य कार्यवाही शुरू की गई थी।

पुलिस द्वारा-दिनांक 07.05.2018 के निर्वासन के आदेश द्वारा, अपीलार्थी को निर्देश दिया गया था कि वह उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए जिले में प्रवेश या वापसी न करे जिस दिन वह जाता है, या जिले से बाहर ले जाया जाता है-आयोजितः एक बाहरी आदेश कभी-कभी हो सकता है

कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक-हालांकि बाहरी कार्रवाई की कठोर कार्रवाई केवल असाधारण मामलों में की जानी चाहिए, ताकि किसी इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखी जा सके और/या सार्वजनिक उल्लंघन को रोका जा सके।

शांति और शांति-तत्काल मामले में, यह स्पष्ट है कि विवादित निष्कासन आदेश अपीलार्थी द्वारा सरकारी अधिकारियों, कुछ मदरसों और ऐसे मदरसों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों का परिणाम था, जिन्होंने बाद में अपीलार्थी के खिलाफ एफ. आई. आर. एस. दर्ज किया। एफ. आई. आर. एस. स्पष्ट रूप से प्रतिशोधी, जवाबी कार्रवाई करने वाला है और इसका उद्देश्य अपीलार्थी को सबक सिखाना और उसकी आवाज को दबाना है-सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर सरकारी अधिकारियों की प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट रूप से देखने पर।

इंगित करें कि शिकायतें तुच्छ नहीं हैं, बिना किसी सार 571 [2021] 8 एस. सी. आर. के।

इस प्रकार, विवादित बहिर्गमन आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे अलग रखा जाता है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56 से 59 का उद्देश्य अराजकता को रोकना और भ्रष्टाचार से निपटना है।

समाज में विधिरहित तत्वों का वर्ग जिन्हें न्यायिक मुकदमे पर दंडात्मक कार्रवाई के स्थापित तरीकों से कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता है।

[पैरा 33] [587-एफ]

2. एक बाहरी आदेश कभी-कभी आवश्यक हो सकता है

शांति और शांति। इस मामले में, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि विवादित निष्कासन आदेश अपीलार्थी द्वारा सरकारी अधिकारियों, कुछ मदरसों और ऐसे मदरसों से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई शिकायतों का परिणाम था, जिन्होंने बाद में अपीलार्थी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। एफ. आई. आर. स्पष्ट रूप से हैं प्रतिशोधी, प्रतिशोधात्मक और इसका उद्देश्य अपीलार्थी को सबक सिखाना और उसकी आवाज़ को दबाना था। [पैरा 34] [587-जी-एच; 588-ए]

3. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, नोटिस

2017 की अपराध संख्या 344,2017 की नागपुरी गेट पुलिस थाने में पंजीकृत 352 और अमरावती शहर के कोटवाली पुलिस थाने में पंजीकृत 2017 की अपराध संख्या No.501 के आधार पर बहिष्करण और विवादित बहिष्करण आदेश स्पष्ट रूप से मनमाने हैं।

दुर्भावनापूर्ण, कानून में अस्थिर और अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी। [पैरा 35] [588-बी]

4. यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि 14.9.2017 की एक शिकायत के अनुसार उप-जिला द्वारा एक जांच की गई थी।

शिक्षा निदेशक (पूर्व में उप निदेशक), जिला योजना अधिकारी रवींद्र काले, विस्तार अधिकारी संदीप बोधके के खिलाफ कलेक्टर। जांच रिपोर्ट के साथ अधिकारियों का स्पष्टीकरण चैंबर अधिकारी को भेज दिया गया है।

आगे की कार्रवाई के लिए अल्पसंख्यक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई। निदेशक (पूर्व में उप निदेशक)

शिक्षा, जिला योजना अधिकारी ने अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत 13 अक्टूबर 2017 को प्राथमिकी दर्ज की, ठीक उस तारीख से एक महीने के भीतर जब रहमत खान @राममू बिसमिल्लाह बनाम.

पुलिस उपायुक्त

मदरसों को धन के वितरण के संबंध में अवैधताओं के संबंध में अपीलार्थी की शिकायत। [पैरा 37] [589-ए-सी] 5. धमकी देकर फिरौती मांगने का निंदनीय आरोप, प्रथम दृष्टया, शिकायत देने के लिए मनगढ़ंत प्रतीत होता है

तीव्र गुरुत्वाकर्षण का एक रंग। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता अवैध रूप से धन उगाही का खुलासा करने की धमकी दे रहा था।

कुछ अधिकारियों और कुछ मदरसों या शैक्षणिक संस्थानों की गतिविधियाँ। यह मानते हुए भी कि आरोप में सार था, जो संदिग्ध प्रतीत होता है, बहिष्करण का आदेश अनुचित था। एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले शिकायतकर्ताओं के लिए अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से दी गई धमकियों से भयभीत होने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि अगर वे शिकायतकर्ता गैरकानूनी कार्यों में शामिल नहीं थे, तो उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। अन्यथा भी, शिकायत दर्ज कराने की धमकी संभवतः महाराष्ट्र की धारा 56 के तहत निर्वासन का आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकती है।

पुलिस अधिनियम, 1951, विशेष रूप से, जब सरकार की प्रतिक्रियाएँ

देश भर में स्वतंत्र रूप से, कमजोर आधार पर। [पैरा 40] [590 सी-ई] 6. इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहां द्वारा दर्ज शिकायतों के आधार पर

संबंधित अधिकारियों द्वारा अपीलार्थियों की जांच शुरू कर दी गई थी

अपीलार्थी के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले शिकायतकर्ताओं सहित सरकारी अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ, इसके बाद आए विवादित निर्वासन आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। [पैरा 41] [590-एफ]

पंढरीनाथ श्रीधर रंगनेकर बनाम। डी. कॉम. में से

पुलिस, महाराष्ट्र राज्य (1973) 1 एससीसी 372: [1973] 3 एस. सी. आर. 63; महाराष्ट्र राज्य और अन्य। वी. सलेम हसन खान (1989) 2 एससीसी 316: [1989] 1 एस. सी. आर. 970 पर भरोसा किया।

गाजी सादुद्दीन बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2003) 7 एससीसी

330 [2003] 2 पूरक। एस. सी. आर. 966-संदर्भित।

[20

21] 8 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1973] 3 एससीआर 63

उस पर भरोसा करें

पैरा 28

[2003] 2 पूरक। एससीआर 966

पैरा 29

संदर्भित किया गया है

[1989] 1 एससीआर 970

उस पर भरोसा करें

पैरा 31

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

884 2021 से।

उच्च न्यायालय के 31.03.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2020 के आपराधिक विविध आवेदन संख्या 19358 में, अहमदाबाद में गुजरात का।

अंशिन एच. देसाई, वरिष्ठ अधिवक्ता। , डी. एन. रे, नंदीश एच. थाकर, दिलीप कुमार नायक, सुश्री दिशा रे, श्रीमती सुमिता रे, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

मनोज स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता। , शक्ति कांत पटनायक, ध्रुव के. दवे, कल्पेश एन. सोनी, कानू अग्रवाल, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः

इंदिरा बनर्जी, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 29 तारीख के अंतिम फैसले और आदेश के खिलाफ है।

जनवरी, 2021 को उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ द्वारा पारित किया गया बॉम्बे का न्यायपीठ, अपीलार्थी द्वारा दायर 2018 की आपराधिक रिट याचिका संख्या 490 को खारिज करते हुए, पुलिस उपायुक्त, जोन-1 द्वारा पारित दिनांक 07.05.2018 के निर्वासन के आदेश को चुनौती देते हुए,

अमरावती शहर, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56 (1) (ए) (बी) के तहत, जिसके तहत अपीलार्थी को शहर में प्रवेश करने या वापस नहीं आने का निर्देश दिया गया है।

अमरावती शहर या अमरावती ग्रामीण जिला उनके जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, या अमरावती शहर और/या अमरावती ग्रामीण जिले से बाहर ले जाया जाता है।

3. विवादित निर्वासन आदेश के पैराग्राफ 1 और 2 हैं -

सुविधा के लिए नीचे निकाला गया हैः

" जबकि बॉम्बे की धारा 10 (2) के तहत आदेश के अनुसार

पुलिस अधिनियम (1951 का मुंबई 22) सरकार। महाराष्ट्र का

आदेश No.Maharashtra अध्यादेश संख्या 9/94 डीटी द्वारा। 24 जून,

1994 पुलिस उपायुक्त (जोनल) ने निर्देश दिया है कि

अमरावती प्रदत्त शक्ति, कार्य और कर्तव्यों को लागू करेगी।

उस पर उक्त अधिनियम की धारा 56 के तहत।

रहमत खान @राममू बिसमिल्लाह वी। पुलिस उपायुक्त [इंदिरा बनर्जी, जे.]

जबकि रहेमतखान बिस्मिल्लाखान, आयु 48 वर्ष, चमन छाओनी, यूनिवर्सिटी रोड, अमरावती के खिलाफ प्रकृति का पालन करने का प्रमाण मेरे सामने प्रस्तुत किया गया है।

1. 2017 से उसके कृत्य और आवाजाही के कारण पुलिस स्टेशन, नागपुरीगेट और कोटवाली के अंतर्गत आने वाले इलाके में डर पैदा हो गया है और आसपास रहने वाले लोगों की संपत्ति और उनके दिमाग में असुरक्षा पैदा हो गई है।

भविष्य में भी सुरक्षा के निर्माण की पूरी संभावना है।

(क) उक्त व्यक्ति अपने साथियों के साथ ऊपर निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गाली देकर और फिरौती की मांग करके जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध में लिप्त है।

उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया।

पुलिस थाना अपराध सं।

अनुभाग

समझौता

श्री.

तिथि

नहीं।

384 , 452 , 294 ,

पुलिस के अधीन

12/10/2017

आई.

नागपुरीगेट 344/2017

506 (बी) आई. पी. सी. 34

जाँच-पड़ताल

पुलिस के अधीन

2

नागपुरीगेट 352/2017

384,448,294 , 504 , 23/10/2017

506 (बी) आई. पी. सी. 34

जाँच-पड़ताल

13/10/2017

पुलिस के अधीन

3

कोटवाली

501/2017

384 आईपीसी

जाँच-पड़ताल

निषेधात्मक कार्रवाई

पंजीकरण की तिथि

यह बात है। नं. & अनुभाग

श्री. नहीं। पी. एस

नागपुरीगेट

53/17 धारा 110 (ई) (जी) 04/12/2017 के तहत

1

Cr.P.C।

इस प्रकार वह संविधान के अध्याय 17 के अनुसार दंडनीय है।

आई. पी. सी

(ख) उपरोक्त व्यक्ति अपने साथियों के साथ जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराध में लिप्त है।

ऊपर निर्दिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को गाली देना और फिरौती की मांग करना।

2. उन्होंने पैराग्राफ नंबर 1 उप-पैरा नंबर ए और बी में उल्लिखित प्रकृति की गतिविधियों को प्रतिबद्ध किया है, इसलिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट भी प्रतिबद्ध की है।

21] 8 एस सी आर।

कारण दर्शाओ नोटिस में उल्लिखित प्रकृति की कई गतिविधियाँ।

4. 11 अक्टूबर, 2013 को या उसके आसपास, महाराष्ट्र सरकार ने "डॉ. जाकिर हुसैन मदरसा अधुनिकरण" नामक एक योजना शुरू की।

योजना "को इसके बाद मुस्लिम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए 'योजना' के रूप में संदर्भित किया गया है।

5. योजना के अनुसार, मदरसों के कार्यालय में पंजीकृत

चैरिटी कमिश्नर या वक्फ बोर्ड, जिसने तीन साल पूरे कर लिए थे, उन्हें बुनियादी सुविधाओं, शिक्षकों के पारिश्रमिक, छात्रों की छात्रवृत्ति आदि के लिए धन के आवंटन के लिए प्राथमिकता दी जानी थी।

6. 20 मार्च 2015 के एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य ने कुल अनुदान के वितरण की घोषणा की।

7. अपीलार्थी एक धार्मिक विचारधारा वाला पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करता है, जो भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ रहा है। अपीलार्थी 2009 तक "कलम की तकत" समाचार पत्र प्रकाशित करता था। 8. अपीलार्थी के अनुसार, उनकी बेटी महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक मदरसे में पढ़ रही थी। उस समय, अपीलार्थी

अमरावती में मदरसों को वितरित सार्वजनिक धन के गबन सहित मदरसों के संचालन में अनियमितताओं के बारे में पता चला

जिला, महाराष्ट्र राज्य द्वारा।

9. अपीलार्थी ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र सरकार को अनुदान वितरण में अवैधता की शिकायतें मिली थीं

योजना के तहत, वित्तीय वर्षों 2014-2015 और 2015-2016 के दौरान। अपीलार्थी ने भी ऐसी शिकायतें की थीं। 10. उपरोक्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए, सभी कलेक्टरों को मदरसों को अनुदान के वितरण की जांच शुरू करने का निर्देश दिया गया था

वित्तीय वर्षों 2014-2015 और 2015-2016 के दौरान।

11. 9 अगस्त, 2017 को या उसके आसपास अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन किया, जिसमें उनसे जानकारी मांगी गई। जिला योजना समिति, अमरावती वित्तीय वर्षों 2014-2015 और 2015-2016 में अमरावती जिले में अनुदान के वितरण की जांच और विवरण के परिणाम।

रहमत खान @राममू बिसमिल्लाह वी। पुलिस उपायुक्त [इंदिरा बनर्जी, जे.]

12. 18 सितंबर, 2017 को एक संचार द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि 24 मई, 2017 को एक सरकारी आदेश

जाँच के लिए पारित किया गया, लेकिन जिला योजना समिति के कार्यालय को कोई जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई थी। अपीलार्थी को अनुदान प्राप्तकर्ताओं की एक सूची प्रस्तुत की गई थी, जिन्हें संबंधित ग्रेंटरों को दी गई राशि के विवरण के साथ वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के दौरान अनुदान वितरित किया गया था।

13. अपीलार्थी का दावा है कि उन्हें पता चला कि अमरावती के तत्कालीन शिक्षा उप निदेशक सी. आर. राठौड़ सहित कुछ सरकारी अधिकारियों ने इस योजना के तहत अनुदान का वितरण किया था। 11 अक्टूबर, 2013 के सरकारी प्रस्ताव का उल्लंघन।

14. 14 सितंबर, 2017 को या उसके आसपास, अपीलार्थी ने कथित रूप से उक्त सी. आर. राठौड़ सहित संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करते हुए कलेक्टर, अमरावती के पास एक शिकायत दर्ज कराई। अनुदान के अवैध वितरण के लिए जिम्मेदार। अपीलार्थी ने कलेक्टर से जोहा एजुकेशन एंड चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट और मद्रासी बाबा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित संस्थानों सहित कुछ शैक्षणिक संस्थानों और मदरसों को नियमों का उल्लंघन करते हुए योजना के तहत सरकारी अनुदान के वितरण को रोकने का भी अनुरोध किया।

15. 13 अक्टूबर, 2017 को अपीलार्थी ने कलेक्टर के साथ-साथ पुलिस से सरकारी अनुदानों के गबन की जांच करने का अनुरोध किया

सरकारी अधिकारियों के साथ मिलीभगत में मदरसों द्वारा। प्रतिशोध में, प्रभावित व्यक्तियों ने अपीलार्थी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कीं, जिनके विवरण का उल्लेख ऊपर निकाले गए विवादित विदेश आदेश के पैराग्राफ 1 में किया गया है। अपीलार्थी ने आवेदन किया और सत्र न्यायालय द्वारा जमानत इस शर्त पर दी गई कि अपीलार्थी आरोपपत्र दायर होने तक संबंधित पुलिस थाने में उपस्थित रहेगा। 16. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किए हैं।

ऊपर निर्दिष्ट आपराधिक मामले, जो न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं।

17. आई. डी. 1 पर या उसके आसपास, अपीलार्थी ने निम्नलिखित आदेशों के लिए अनुरोध करते हुए नागपुर पीठ में एक जनहित याचिका दायर कीः

" (i) राज्य अल्पसंख्यक विकास विभाग को आदेश देने वाले मंडमस की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

कार्रवाई करें और प्रत्यर्थी को अनुदान का वितरण रोकें नहीं। 11 29 और सभी संबंधित मदरसों को उक्त योजना के तहत मदरसों के चयन के मामले में, जो [2021] 8 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चैरिटी कमिश्नर या वक्फ बोर्ड के साथ पंजीकृत नहीं हैं

और उसी जांच के बारे में पहले ही किया जा चुका है

वर्ष 2017 तक अनुलग्नक एफ और इसकी रिपोर्ट पहले से ही दी जा चुकी है

आवासीय कलेक्टर अमरावती द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया

प्रत्यर्थी नं. 2 आगे निर्देशित करने के लिए प्रसन्न हो

उत्तरदाता नं। 1 2 को की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करने के लिए

सभी संबंधित मदरसों के खिलाफ, इससे पहले माननीय

निर्धारित समय में न्यायालय।

((ii) उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

उत्तरदाता नं। 2-10 जो चयन के लिए जिम्मेदार हैं

योजना के तहत मदरसे।

(iii) एक स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देते हुए मंडमस की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना। राज्य में चल रहे सभी मदरसों के बारे में

महाराष्ट्र और इस योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर रहे हैं,

उच्च न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए

यह न्यायालय एक निर्धारित समय में।

(iv) मंडमस की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

मदरसे। (v) मंडमस की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।

विभागीय शुरू करने के लिए उत्तरदाताओं 1 को आदेश देना

2-10 जो 36 मदरसों के चयन के लिए जिम्मेदार हैं। (vi) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय

तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझा जा सकता है

मामले से।

(vii) याचिका का खर्च याचिकाकर्ता को सौंपें।

18. इसके कुछ समय बाद, सहायक पुलिस मिशनर, गाडगे नगर डिवीजन, अमरावती के कार्यालय से अपीलार्थी को 3 अप्रैल को एक कारण बताएँ नोटिस जारी किया गया।धारा 56 (1) (ए) (बी) के तहत उसके खिलाफ कार्यवाही

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951। अपीलार्थी के अनुसार, वह

12 अप्रैल, 2018 को कारण दर्शाओ नोटिस दिया गया।

रहमत खान @राममू बिसमिल्लाह वी। पुलिस उपायुक्त [इंदिरा बनर्जी, जे.]

19. 16 अप्रैल, 2018 के एक पत्र द्वारा अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ 3 अप्रैल, 2018 के कारण सूचना का जवाब दिया

" 1. कारण दर्शाओ नोटिस में मेरे खिलाफ लंबित तीन आपराधिक अपराधों का संदर्भ परिलक्षित हो रहा है जिसमें पुलिस स्टेशन नागपुरी गेट में पंजीकृत अपराध संख्या 344/17,352/17 और पुलिस स्टेशन कोटवाली में पंजीकृत अपराध संख्या 501/17 शामिल हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कारण दर्शाअ नोटिस में उक्त अपराधों की तारीख दी गई है।

जानबूझकर नहीं दिखाया गया है।

2. पहला अपराध यानी मेरे खिलाफ दर्ज अपराध संख्या 344/17 शमीम अज़हर खान जफर अली खान डी. द्वारा दर्ज की गई शिकायत पर है। 12/10/2017 जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मैंने अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति ने उन्हें लगभग 9:30 बजे से 10 बजे तक 20/9/2017 पर धमकी दी थी और Rs.50,000/- की मांग की थी। उक्त शिकायत के आधार पर मेरे खिलाफ आईपीसी की धारा 354,34,384,452,506 (बी) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मैंने नागपुर में माननीय उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन दायर किया है।

आपराधिक आवेदन (ए. पी. एल.) सं. 921/2017 . जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करने की इच्छा व्यक्त की थी और यह आज तक लंबित है। मैं प्रस्तुत करता हूं कि विचाराधीन प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज की गई है क्योंकि मैंने शिक्षा के पदाधिकारियों सहित विभिन्न स्कूलों द्वारा गबन के मामले को आगे बढ़ाया है। सरकार की योजना को लागू करते हुए विभाग

जी. आर. डी. 11/10/2013 .

3. दूसरा अपराध यानी मेरे खिलाफ दर्ज अपराध संख्या 352/17 इरफान अहमद मोहम्मद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर है। शेख डी. 23/10/2017 जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मैं अधोहस्ताक्षरित हूं

तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे धमकी दी थी और रुपये की मांग की थी। उक्त शिकायत के आधार पर मेरे खिलाफ आईपीसी की धारा 448,384,294,504,506 (बी) और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मैंने आपराधिक आवेदन (ए. पी. एल.) संख्या के माध्यम से उक्त ए. आई. आर. को चुनौती देते हुए नागपुर में माननीय उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत आवेदन दायर किया है। 922/2017 . जिसमें माननीय उच्च न्यायालय नोटिस जारी करने के लिए प्रसन्न था और वही है

आज तक लंबित है। मैं प्रस्तुत करता हूं कि विचाराधीन प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज की गई है क्योंकि मैंने शिक्षा के पदाधिकारियों सहित विभिन्न स्कूलों द्वारा गबन के मामले को आगे बढ़ाया है। सरकार की योजना को लागू करते हुए विभाग

जी. आर. डी. 11/10/2013 .

4. तीसरा अपराध यानी मेरे खिलाफ दर्ज अपराध संख्या 501/17 है

चंदनसिंह राठौड़ डी. टी. द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर। 13/10/2017 जिसमें उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि मैंने अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति ने कलेक्टर के पास उनके खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराने के लिए उनसे Rs.25,000/- की मांग की थी। उक्त शिकायत के आधार पर मेरे खिलाफ दंडनीय अपराधों के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 384 आईपीसी की। मैंने आपराधिक आवेदन (ए. पी. एल.) संख्या के माध्यम से उक्त ए. आई. आर. को चुनौती देते हुए नागपुर में माननीय उच्च न्यायालय की पीठ के समक्ष धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत आवेदन दायर किया है। 924/2017 . जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी करने की इच्छा व्यक्त की थी और यह आज तक लंबित है। मैं प्रस्तुत करता हूं कि विचाराधीन प्राथमिकी दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज की गई है क्योंकि मैंने शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों सहित विभिन्न स्कूलों द्वारा गबन के मामले को लागू करते हुए आगे बढ़ाया है।

जी. आर. डी. के माध्यम से सरकार की योजना 11/10/2013 .

5. यह कि विवादित कार्रवाई और कुछ नहीं बल्कि संबंधित अधिकारियों के समक्ष गबन के मामले को आगे नहीं बढ़ाने के लिए मुझ पर एक दबाव वाली रणनीति है क्योंकि मेरे खिलाफ विवादित कार्रवाई तभी शुरू की जाती है जब मैंने विचाराधीन नोटिस में संदर्भित तीन प्राथमिकियों को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करके माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया हो। इस तरह की कार्रवाई गलत उद्देश्य और दुर्भावना के साथ की जाती है।
6. कि तीनों प्राथमिकियां मेरे खिलाफ लगाए गए व्यक्तिगत आरोपों की उपज हैं और ऐसा कोई आरोप नहीं है जो बॉम्बे पुलिस अधिनियम की धारा 56 (1) (ए) (बी) की आवश्यकता को पूरा करता हो। इस प्रकार तीन प्राथमिकियां मुझे पूरी अमरावती से बाहर करने का आधार नहीं हो सकती हैं।

जिला "।

20. 25 अप्रैल, 2018 को अपीलार्थी को पुलिस उपायुक्त के कार्यालय से 20 अप्रैल, 2018 को एक और नोटिस प्राप्त हुआ।

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 59 के तहत जोन 1, अमरावती शहर। इसके बाद अपीलार्थी के खिलाफ निर्वासन की कार्यवाही शुरू की गई, जिसकी परिणति विवादित निर्वासन आदेश में हुई।

21. विवादित विदेश आदेश तीन अपराध मामलों को संदर्भित करता है, जो अपराध मामले संख्या हैं। 344/17 , 352/17 और 501/17, जो तीन प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ़. आई. आर.) के अनुसार शुरू की गई थी; (i) दिनांकित पहली एफ़. आई. आर. 12.10.2017 अमरावती के आजाद कॉलोनी में मद्रासी बाबा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्रियदर्शनी उर्दू प्राइमरी एंड प्री सेकेंडरी स्कूल के हेडमास्टर शमीम अज़हर खान जफल अली खान ने नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया।

पुलिस उपायुक्त [इंदिरा बनर्जी, जे.]

22. अपीलकर्ता सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन दायर कर रहा था, जिसमें जोहा एजुकेशन एंड चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित अल हराम इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल और प्रियदर्शिनी उर्दू प्राइमरी और अन्य मदरसों को धन के वितरण में अवैधता के संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगी गई थी। मद्रासी बाबा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्री-सेकेंडरी स्कूल। इस तरह के आवेदनों के अनुसार, शिक्षा अधिकारी के कार्यालय ने संबंधित प्रधानाध्यापकों से जानकारी मांगी थी।

क्रमशः 23.8.2017 और 25.9.2017 दिनांकित संचार। 23. यह अपीलार्थी का मामला है कि अपराध सं। 352/2017 और 344/2017 को सार्वजनिक धन के अवैध दुरुपयोग को समाप्त करने और अवैध प्रथाओं में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए अपीलार्थी द्वारा उठाए गए कदमों के प्रतिशोध में एक जवाबी विस्फोट के रूप में शुरू किया गया था। द.

अपीलार्थी के अनुसार, अमरावती के शिक्षा उप निदेशक, उक्त सी. आर. राठौड़ द्वारा दायर आपराधिक मामला भी जवाबी कार्रवाई है।

24. यह विवाद में नहीं है कि अपीलार्थी द्वारा शिकायत करने और अधिकार के तहत सवाल उठाने के तुरंत बाद तीन प्राथमिकियां दर्ज की गईं।

सूचना अधिनियम, 2005। के प्रश्न के उत्तर में जिला कलेक्टर के कार्यालय के दिनांकित 7.9.2018 उत्तर का संदर्भ दिया जा सकता है अपीलार्थी ने 16.8.2018 दिनांकित एक आवेदन देखा। सुविधा के लिए प्रतिक्रिया नीचे निकाली गई है।

" रहेमत खान बिस्मिल्ला खान की शिकायत पर जिला कलेक्टर के आदेश पर 11 अक्टूबर, 2013 के सरकारी प्रस्ताव के नियमों और शर्तों के अनुसार

वर्ष 2016-17 में कुल 36 मदरसों की जाँच 15.11.2017 और 26.11.2017 पर की गई जिन्होंने सरकारी अनुदान लिया है। रेसिडेंट डिप्टी के हस्ताक्षर के साथ इस पूछताछ के बाद। कार्यालय नोट में जिला कलेक्टर और जिला कलेक्टर

36 मदरसों के प्रस्ताव पर पंजीकरण का प्रमाण पत्र है

चैरिटी कमिश्नर के कार्यालय के साथ। लेकिन कार्यालय की सर्वोच्च अदालत की रिपोर्ट में मदरसे के नाम पर कोई पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है

21] 8 एस सी आर।

इसलिए आवश्यक कार्रवाई के लिए आगे का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। सरकार से निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई लिया जाएगा "।

25. क्राइम नं. 344/2017 (प्रियदर्शनी उर्दू के शमीम अज़हर खान द्वारा दर्ज कराई गई एफ़. आई. आर. के अनुसार शुरू की गई) की जाँच के बाद

प्राथमिक और पूर्व-माध्यमिक विद्यालय), आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय संख्या 11, अमरावती के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आरोप तय किए गए और मामला रेग के रूप में दर्ज किया गया। सीआरएल। मामला संख्या 421। अपीलार्थी को न्यायिक मजिस्ट्रेट के 26 फरवरी, 2020 के एक फैसले और आदेश से बरी कर दिया गया है। 26. विवादित विदेश आदेश में लिखा है कि गवाह शारीरिक नुकसान के साथ-साथ अपनी संपत्ति के नुकसान के डर से अपीलार्थी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से सबूत पेश करने के लिए तैयार नहीं हैं। 20 अप्रैल, 2018 को भेजे गए एक नोटिस द्वारा अपीलार्थी को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई के लिए बुलाया गया था। अपीलार्थी ने अपना जवाब प्रस्तुत किया जो विवादित विदेश आदेश के अनुसार "ठोस नहीं लगता"।

27. कथित तौर पर अज्ञात द्वारा दिए गए बयान के आधार पर

जिन व्यक्तियों की पहचान का दावा किया जाता है, उन्हें प्रतिशोध के खतरे से बचाने के लिए खुलासा नहीं किया जा सकता है, उपायुक्त ने नीचे दिए गए निष्कर्ष को दर्ज करते हुए एक आदेश जारी कियाः

" ..... मुझे यकीन है कि उक्त व्यक्ति का नाम रहेमतखान उर्फ है।

48 वर्षीय राममू बिस्मिल्लाखान, निवासी चमन छाओनी, यूनिवर्सिटी रोड, अमरावती अपने सहयोगियों के साथ अवैध कृत्यों में लिप्त है, पुलिस आयुक्तालय में गाली-गलौज करके जान से मारने की धमकी देने और कर की मांग करने जैसे गंभीर अपराध में लिप्त है।

नागपुरीगेट और कोटवाली के अंतर्गत आने वाले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए। जैसा कि उसे ग्रंडवाद का समर्थन प्राप्त है, वह साथ में उसके साथी वह उपरोक्त इलाके के निवासियों को धमकी देते हैं

और भाग।

उक्त अपराध अध्याय XVII के तहत दंडनीय हैं।

आई पी सी

जबकि मेरी राय के अनुसार यह महसूस किया जाता है कि गवाहों की संपत्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, गवाह सामने आकर सार्वजनिक रूप से सबूत पेश करने के लिए तैयार नहीं हैं।

उक्त व्यक्ति के खिलाफ। पुलिस निरीक्षक ने अत्यधिक रहमत खान @राममू बिसमिल्लाह बनाम बनाया।

पुलिस उपायुक्त [इंदिरा बनर्जी, जे.]

प्रयासों ने दो गवाहों को विश्वास में लिया और आश्वासन देने के बाद

यदि वे अपना बयान/साक्ष्य दर्ज करते हैं तो उनके नाम और पहचान को गुप्त रखा जाएगा। वे साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए किसी भी अदालत या खुले मंच के समक्ष नहीं बुलाएंगे। इस तरह के आश्वासन पर उनके साक्ष्य बंद दरवाजों में दर्ज किए गए हैं। उक्त बंद दरवाजे के बयानों को पढ़ा और सुनिश्चित हो गया इसकी तथ्यात्मक स्थिति के बारे में। सभी दस्तावेजों को देखने पर, उक्त के खिलाफ अदालत में दायर मामलों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

व्यक्ति।

28. पंढरीनाथ श्रीधर रंगनेकर में महाराष्ट्र ई अधिनियम, 1954 की धारा 56 से 59 के दायरे और दायरे पर विचार किया गया था। कॉम. पुलिस के बारे में, महाराष्ट्र राज्य ने (1973) सी 372 में राज्य की ओर से पेश होते हुए श्री पाटिल द्वारा उद्धृत किया, जहां यह न्यायालय

" 8. अधिनियम की धारा 56, सामग्री की सीमा तक, यह प्रदान करती है कि जब भी यह ग्रेटर बॉम्बे में दिखाई देगा

आयुक्तः (क) कि किसी भी व्यक्ति के कार्यों की गतिविधियाँ

व्यक्ति या संपत्ति को चेतावनी, खतरा या नुकसान पहुँचाने के लिए गणना की जाती है या (बी) कि उचित आधार हैं

यह विश्वास करने के लिए कि ऐसा व्यक्ति बल या हिंसा से जुड़े अपराध या दंड संहिता, 1860 के अध्याय XII, XVI या XVII के तहत दंडनीय अपराध में लगा हुआ है या शामिल होने वाला है, और जब ऐसे अधिकारी गवाहों की राय में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए आगे आने के लिए तैयार नहीं हैं।

अपने व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में अपनी ओर से आशंका होने पर, उक्त अधिकारी लिखित आदेश द्वारा ऐसे व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर या ऐसे क्षेत्र और किसी भी जिले या जिले या उससे सटे किसी भी हिस्से से बाहर जाने का निर्देश दे सकता है, उस समय के भीतर जब उक्त अधिकारी निर्धारित करे और उस क्षेत्र में प्रवेश करने या लौटने का निर्देश नहीं दे सकता है जहां से उसे खुद को हटाने का निर्देश दिया गया था। धारा 58 के तहत, धारा 56 के तहत पारित निर्वासन का आदेश किसी भी मामले में दो साल की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है।

जिस तारीख से इसे बनाया गया था। धारा 59 (1) के प्रासंगिक भाग में यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धारा 56 के तहत आदेश पारित करने से पहले, अधिकारी उस व्यक्ति को सूचित करेगा।

भौतिक आरोपों की सामान्य प्रकृति का लेखन [2021] 8 एस. सी. आर.

उसके खिलाफ "और उसे उन आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण देने का एक उचित अवसर दें। प्रस्तावित बाहरी व्यक्ति साक्ष्य देने का हकदार है जब तक कि प्राधिकारी का विचार है कि गवाहों की जांच के लिए आवेदन परेशान करने या देरी के उद्देश्य से किया जाता है। धारा 59 संबंधित व्यक्ति को लिखित बयान दायर करने और अधिवक्ता के माध्यम से पेश होने का अधिकार भी प्रदान करती है।

या वकील।

9. इन प्रावधानों से पता चलता है कि असाधारण परिस्थितियों से बाहर निकलने के आदेश को पारित करने की आवश्यकता या औचित्य साबित करने वाले कारण उत्पन्न होते हैं। धारा 56 के खंड (ए) या (बी) के तहत निर्वासन का आदेश तभी पारित किया जा सकता है जब संबंधित प्राधिकारी संतुष्ट हो कि गवाह इच्छुक नहीं हैं।

प्रस्तावित विदेशी के खिलाफ उनके व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में उनकी ओर से आशंका के कारण सार्वजनिक रूप से साक्ष्य देने के लिए आगे आना। एक खुले अभियोजन में आवश्यक विवरणों का पूर्ण और पूर्ण प्रकटीकरण एक मामले के उद्देश्य को विफल कर देगा। बाहर निकलने की प्रक्रिया। यदि कारण दर्शाओ नोटिस प्रस्तावित बाहरी व्यक्ति को घटनाओं की विशिष्ट तिथियों या उन घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के नाम जैसे ठोस डेटा प्रदान करता है, तो उन लोगों की पहचान तय करना काफी आसान होगा जो अपने व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचने के डर से हैं।

सार्वजनिक रूप से गवाही देने के लिए अनिच्छुक। कानूनविहीन का एक ब्रांड है समाज में ऐसा तत्व जिसे न्यायिक परीक्षण के स्थापित तरीकों से कानून के दायरे में लाना असंभव है क्योंकि ऐसे परीक्षणों में

कानूनी साक्ष्य के बिना कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है। और कानूनी साक्ष्य प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि प्रतिशोध के डर से गवाह सार्वजनिक रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं। यह बताता है कि क्यों अधिनियम की धारा 59 अधिकारियों पर एक सीमित दायित्व लगाती है कि वे प्रस्तावित बाहरी व्यक्ति को "उसके खिलाफ भौतिक आरोपों की सामान्य प्रकृति" के बारे में सूचित करें। यह दायित्व प्रस्तावित विदेशी के सह-सापेक्ष अधिकार की सीमाएँ तय करता है। वह एक आदेश से पहले हकदार है

उसके खिलाफ भौतिक आरोपों और उनकी सामान्य प्रकृति को जानने के लिए धारा 56 के तहत बहिष्करण पारित किया जाता है।

आरोप लगा रहे हैं। वह भौतिक आरोपों से संबंधित विशिष्ट विवरणों के बारे में सूचित किए जाने का हकदार नहीं है।

रहमत खान @राममू बिसमिल्लाह वी। पुलिस उपायुक्त [इंदिरा बनर्जी, जे.]

10. यह सच है कि धारा 56 के प्रावधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर प्रभाव डालते हैं, लेकिन समाज के व्यापक हित में इस तरह के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इस न्यायालय ने गुरबचन सिंह बनाम. बॉम्बे राज्य [1952 एस. सी. आर. 737: ए. आई. आर 1952 एस. सी 221: 1952 एस. सी. जे. 279] ने इसकी वैधता को बरकरार रखा था बॉम्बे पुलिस नगर अधिनियम, 1902 की धारा 27 (1), जो अधिनियम की धारा 56 से मेल खाती है। उस निर्णय के बाद, भागूभाई बनाम में धारा 56 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। दुल्लदभाई भंडारी बनाम। जिला

मजिस्ट्रेट, थाना। हम केवल यह जोड़ेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि धारा 56 और 59 की शर्तों का सख्ती से पालन किया जाए और जो छोटे सुरक्षा उपाय उन प्रावधानों में प्रस्तावित बाहरी व्यक्ति को उपलब्ध कराए गए हैं।

15. जहां तक अंतिम बिंदु का संबंध है, यह मुख्य रूप से बाहरी प्राधिकरण को यह तय करना है कि बाहरी आदेश को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, ताकि इसके वास्तविक उद्देश्य को कम किया जा सके। धारा 58 द्वारा निर्धारित दो वर्ष की वैधानिक सीमा के भीतर, आदेश कब तक संचालित होगा और धारा 56 की वैधानिक सीमाओं के भीतर इसे किन क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना चाहिए, ऐसे मामले हैं जो उनके निर्णय के लिए डेटा की प्रकृति पर निर्भर करते हैं जो प्राधिकरण बाहरी कार्यवाही में एकत्र करने में सक्षम है। ऐसे मामले और मामले हैं और इसलिए कोई सामान्य नहीं है।

यह सूत्रीकरण किया जा सकता है कि बहिर्गमन का क्रम हमेशा उस क्षेत्र तक सीमित होना चाहिए जहाँ तक बाहरी की अवैध गतिविधियाँ फैली हुई हैं। एक बड़े क्षेत्र को बाहरी क्रम के भीतर शामिल करना पड़ सकता है ताकि बाहरी को उसके लंगर से अलग किया जा सके।

16. एक अत्यधिक आदेश को निस्संदेह रद्द किया जा सकता है।

क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर किसी भी अधिक प्रतिबंध की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो मामले की परिस्थितियों में उचित है। बालू शिवलिंग में बंबई उच्च न्यायालय का निर्णय

डोम्बे वी। डिविजनल मजिस्ट्रेट, पंढरपुर, एक ऐसा उदाहरण है जहाँ एक निर्वासन आदेश को इस आधार पर दरकिनार कर दिया गया था कि यह मामले की आवश्यकताओं द्वारा उचित ठहराए जाने की तुलना में कहीं अधिक व्यापक था। उसमें बाहरी लोगों की गतिविधियाँ पंढरपुर शहर तक ही सीमित थीं और फिर भी बाहरी आदेश ने शोलापुर, सतारा और पूना जिलों के रूप में व्यापक क्षेत्र को शामिल किया। ये क्षेत्र [2021] 8 एस. सी. आर. से बहुत दूर हैं।

वह इलाका जिसमें बाहरी व्यक्ति ने दो कथित अवैध कार्य किए थे। इसलिए शक्ति का प्रयोग मनमाना और अत्यधिक था, आदेश निर्वासन के उद्देश्य के संदर्भ के बिना पारित किया गया था।

29. गाज़ी सादुद्दीन बनाम। महाराष्ट्र राज्य ने (2003) 7 एस. सी. सी. 330 में रिपोर्ट की, जिसे श्री पाटिल ने भी उद्धृत किया, इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि

आदेश पारित करने वाले प्राधिकारी को आदेश पारित करने की समीचीनता से संतुष्ट होना चाहिए। यदि द्वारा दर्ज की गई संतुष्टि

प्राधिकरण वस्तुनिष्ठ है और रिकॉर्ड पर सामग्री पर आधारित है तो न्यायालय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा, केवल इसलिए कि संभवतः दूसरा दृष्टिकोण लिया जा सकता है। हालाँकि, प्राधिकरण की संतुष्टि में हस्तक्षेप किया जा सकता है यदि दर्ज की गई संतुष्टि है

स्पष्ट रूप से विकृत, बिना किसी साक्ष्य के आधार पर, भ्रामक साक्ष्य या कोई भी उचित व्यक्ति, अभिलेख पर सामग्री के आधार पर, समीचीनता/आवश्यकता से संतुष्ट नहीं हो सकता था।

बहिर्गमन का आदेश पारित करना।

30. गाजी सादुद्दीन (ऊपर) में, बहिष्करण नोटिस में अपीलार्थी के खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। नोटिस में आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी की गतिविधियों और गतिविधियों ने इलाके में दहशत पैदा कर दी थी और दहशत का माहौल पैदा कर दिया था। इसमें नोटिस की तारीख से एक पखवाड़े या एक महीने पहले की अवधि के भीतर हुई तीन घटनाओं का विवरण था, जिसमें अपीलार्थी ने लोगों को एक विशेष धार्मिक समुदाय को सबक सिखाने में उनका सहयोग लेने के लिए धमकी दी थी। यह उल्लेख किया गया था कि अपीलार्थी ने सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियों में लगे एक संगठन के साथ संपर्क स्थापित किया था और एक कार्यक्रम में भाग लिया था उस धार्मिक समुदाय के नेताओं के पुतले जलाने से क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव पैदा होता है।

अपनी अवैध गतिविधियों के बारे में पुलिस को जानकारी देना। इसलिए, गवाह आगे आने और उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं थे। इस तर्क को खारिज करते हुए कि कारण बताओ नोटिस में आरोप बहुत अस्पष्ट थे क्योंकि विवरण के अभाव में बाहरी व्यक्ति के लिए उचित था अपना बचाव करने के अवसर पर, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक पूर्ण रहमत खान 'MMU बिसमिल्लाह बनाम।

पुलिस उपायुक्त [इंदिरा बनर्जी, जे.]

खुले अभियोजन में आवश्यक विवरणों का प्रकटीकरण,

एक बाहरी कार्यवाही के उद्देश्य को ही विफल कर दें। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 4 ..... समाज में कानूनविहीन तत्वों का एक समूह है जिसे न्यायिक परीक्षण के स्थापित तरीकों से कानून के दायरे में लाना असंभव है क्योंकि ऐसे परीक्षणों में कानूनी साक्ष्य के बिना कोई दोषसिद्धि नहीं हो सकती है। और कानूनी साक्ष्य प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि प्रतिशोध के डर से गवाह सार्वजनिक रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं हैं। इस तर्क से निपटने के दौरान कि राज्य सरकार का कर्तव्य था कि वह समर्थन में कारण बताए

अपील को खारिज करने के अपने आदेश में, बिंदु को निम्नलिखित शब्दों में खारिज कर दिया गया थाः (एस. सी. सी पी. 378, पैरा 14) " सटीक रूप से जिस कारण से प्रस्तावित विदेशी केवल भौतिक आरोपों की सामान्य प्रकृति के बारे में सूचित होने का हकदार है, न तो बाहरी प्राधिकारी और न ही अपील में राज्य सरकार को निर्णय की प्रकृति में एक तर्कपूर्ण आदेश लिखने के लिए कहा जा सकता है।

जैसा कि देखा गया है, यदि अधिकारी मामले में साक्ष्य पर चर्चा करते हैं, तो उन गवाहों की पहचान तय करना आसान होगा जो प्रस्तावित बाहरी व्यक्ति के खिलाफ सार्वजनिक रूप से गवाही देने के लिए तैयार नहीं थे। एक तर्कपूर्ण आदेश जिसमें एक चर्चा होगी

शायद उत्पीड़न का एक और दौर शुरू हो जाए। "

न्यायिक परीक्षण पर दंडात्मक कार्रवाई के स्थापित तरीकों से कानून के दायरे में लाया गया। 34. कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कभी-कभी बाहरी आदेश की आवश्यकता हो सकती है। हालाँकि, किसी इलाके में कानून और व्यवस्था बनाए रखने और/या सार्वजनिक शांति और शांति के उल्लंघन को रोकने के लिए, असाधारण मामलों में ही बाहर निकलने की कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मामले में, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि विवादित निष्कासन आदेश सरकार [2021] 8 एस. सी. आर. के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दर्ज की गई शिकायतों का परिणाम था।

जिन्होंने बाद में अपीलार्थी के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की। एफ. आई. आर. स्पष्ट रूप से हैं प्रतिशोधी, प्रतिशोधात्मक और इसका उद्देश्य अपीलार्थी को सबक सिखाना और उसकी आवाज़ को दबाना था।

35. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में,

2017 की अपराध संख्या 344, नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन में पंजीकृत 2017 की 352 और अमरावती शहर के कोटवाली पुलिस स्टेशन में पंजीकृत 2017 की अपराध संख्या 1 के आधार पर बहिष्करण और विवादित बहिष्करण आदेश स्पष्ट रूप से मनमाने, दुर्भावनापूर्ण, कानून में अस्थिर हैं और उन्हें दरकिनार किया जा सकता है।

36. संचार सं. का उल्लेख करना उचित होगा। केएस-8 /

अपीलार्थी द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में जिला कलेक्टर, अमरावती के कार्यालय से ए. एल. पी. ओ. एस./के. एल./के. वी./2018 दिनांक 25.7.2018। इसे सुविधा के लिए नीचे निकाला गया हैः

" उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए आपका अनुलग्नक-ए

इस कार्यालय द्वारा प्राप्त किया गया है। बिन्दु संख्या 1 के बारे में और 4 जैसा कि आपके आवेदन में उल्लेख किया गया है कि आपने

जानकारी दी। बिन्दु संख्या 1 और 3 से संबंधित जानकारी है

इस कार्यालय में उपलब्ध है; लेकिन बिंदु से संबंधित जानकारी

नं. 4 इस कार्यालय के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपलब्ध है।

जानकारी आपको दी जा रही है जबकि जानकारी जो उपलब्ध नहीं है वह प्रदान नहीं किया जा रहा है।

आवेदक द्वारा मांगी गई वरिष्ठ जानकारी

आवेदक को दी गई जानकारी

नहीं।

बिंदु संख्या 1,2 और 3 की जानकारी अभिलेख के अनुसार दी जाएगी।

अभिलेख के अनुसार दिया जाए।

2 बिंदु संख्या 4: समकालीन शिक्षा के लिए इस मामले में जांच अधिकारी माध्यमिक और वर्तमान निदेशक के संबंध में प्राप्त शिकायत को देखते हुए

शिक्षा डी. आई. की चंदनसिंह रामसिंह जांच। जिला कलेक्टर के साथ

राठौड़, समकालीन जिला योजना उक्त अधिकारियों का स्पष्टीकरण

विस्तार अधिकारी रवींद्र काले को जांच रिपोर्ट भेजी गई है। चैंबर अधिकारी, अल्पसंख्यक देव के संदर्भ में संदीप बोडखे

आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए दिए गए पत्र के बारे में फर्जी मदरसे के लिए विभाग, मंत्रालय, मुंबई के संबंध में दिनांक 14/9/2017 की शिकायत। रसीद मिलने के बाद

आगे के आदेश के बारे में किसी भी कार्रवाई के स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए कहना प्रस्तुत करना 13/10/2017,26/9/2017 दिनांकित पत्र और शिकायत ली जा सकती है।

3/10/2017 अधिकारी के पास वापस लौट आए

जिला कलेक्टर, यदि संबंधित कार्यालय संतुष्ट है और उस पत्र पर भरोसा कर रहा है

उस पत्र की वास्तविक प्रति हो सकती है

विधिवत प्रमाणित किया गया।

रहमत खान @राममू बिसमिल्लाह वी। पुलिस उपायुक्त [इंदिरा बनर्जी, जे.]

37. यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि दिनांकित 14.9.2017 की शिकायत के अनुसार

उप जिला कलेक्टर द्वारा शिक्षा निदेशक (पूर्व में उप निदेशक) सी. आर. राठौड़, जिला योजना अधिकारी रवींद्र काले, विस्तार अधिकारी संदीप बोधके के खिलाफ जांच की गई थी। अधिकारियों के स्पष्टीकरण के साथ जांच रिपोर्ट अल्पसंख्यक विकास विभाग के चैंबर अधिकारी को भेज दी गई है। आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रालय, मुंबई। सी. आर. राठौड़ ने 13 अक्टूबर 2017 को अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 के तहत, उसके खिलाफ अपीलार्थी की शिकायत की तारीख से ठीक एक महीने के भीतर, अवैधताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की।

मदरसों को धन का वितरण।

38. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलार्थी को अपराध मामले में बरी कर दिया गया था

2017 का No.344। अल-हराम इंटरनेशनल स्कूल के प्रधान शिक्षक होने के कारण उक्त एफ़. आई. आर./अपराध मामले के शिकायतकर्ता को शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक), जिला परिषद, अमरावती के कार्यालय से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत एक आवेदन दायर करके अपीलार्थी द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश मिलने के तुरंत बाद एफ़. आई. आर. No.352/2017 दिनांकित <आई. डी. 2 जिसके कारण अपराध No.352/2017 की शुरुआत हुई।

39. इरफान अहमद मोहम्मद द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत की अवधि से।

शेख, नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के साथ अल हरम इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल के हेडमास्टर, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि स्कूल के संचालन के तरीके के संबंध में विवाद थे। तदनुसार, एफ. आई. आर. में कहा गया हैः

" इस विद्यालय का गठन आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया है।

नियम के अनुसार। उनका यू-रोग नंबर 27071502112 है। 8 तारीख को

अगस्त 2017 में गैर-आवेदक रेहमत खान ने एक याचिका दायर की

अधिकार के तहत कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन

सूचना अधिनियम। 4/10/2017 पर गैर-आवेदक नंबर 1 आया

आवेदक के कार्यालय में और जानकारी की मांग की

यह उसे दिया गया था। आवेदक ने मौखिक रूप से उसे बताया और

लिखित रूप में दिया गया है कि यह एक निजी स्कूल है इसलिए जानकारी

सूचना के अधिकार के तहत नहीं दिया जा सकता है।

XXX

XXX

X

XX

आवेदक ने गैर-आवेदक संख्या 1 को यह समझाने की कोशिश की कि इस स्कूल में कोई खराबी नहीं होती है, इसलिए वहाँ है

उसे कुछ भी देने का सवाल ही नहीं उठता।

उस पर उन्हें सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट मिली।

[20

21] 8 एस सी आर।

गुस्से में आकर आवेदक ने कहा कि टी. यू. एम.

BHADKHAU HO, MAI TUMHARA HISAB KARTA HON। यह कहते हुए उसने पिस्तौल को मेरी ओर निशाना बनाया और मेरे पास आने की कोशिश की। यह शोर सुनकर कर्मचारी, स्कूल बस चालक शकील अहमद, स्कूल के शिक्षक हाफ़िज़ रियाज़ हुसैन, स्कूल के चौकीदार अब्दुल सईद सभी ने कार्यालय में प्रवेश किया और स्थिति को देखते हुए बंद कर दिया।

आवेदक और उसे नियंत्रित करने का प्रयास किया।

40. प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि धमकी देकर फिरौती मांगने का निंदनीय आरोप शिकायत देने के लिए गढ़ा गया है।

तीव्र गुरुत्वाकर्षण का रंग। श्री पाटिल ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता कुछ अधिकारियों और कुछ मदरसों या शैक्षणिक संस्थानों की अवैध गतिविधियों को उजागर करने की धमकी के तहत धन उगाही कर रहा था। यह मानते हुए भी कि आरोप में सार था, जो संदिग्ध प्रतीत होता है, बहिष्करण का आदेश अनुचित था। एफ. आई. आर. दर्ज करने वाले शिकायतकर्ताओं के लिए अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से दी गई धमकियों से भयभीत होने का कोई कारण नहीं था, अगर उन शिकायतकर्ताओं ने ऐसा नहीं किया था।

गैरकानूनी कृत्यों में लिप्त होने के कारण उन्हें डरने की कोई बात नहीं थी। अन्यथा भी, शिकायत दर्ज करने की धमकी संभवतः महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56 के तहत निर्वासन का आदेश पारित करने का आधार नहीं हो सकती है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपीलकर्ता स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शिकायतें निरर्थक नहीं हैं, बिना किसी सार के। किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

कमजोर आधार पर पूरे देश में स्वतंत्र रूप से घूमना।

41. इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जहां अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के आधार पर शिकायतकर्ताओं सहित सरकारी अधिकारियों और शैक्षणिक संस्थानों के खिलाफ संबंधित अधिकारियों द्वारा जांच शुरू की गई थी, जिन्होंने अपीलकर्ता के खिलाफ एफ. आई. आर. एस. दर्ज किया था, उसके बाद के विवादित बहिष्करण आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। 42. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है, और विवादित निर्वासन आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान